उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-5/2022/2054/तीस-4-2021
लखनऊः दिनांकः 07 जनवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 653(ई), दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रख्यापित मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के नियम-3(ठ) के प्राविधानानुसार 'रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी' के रूप में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या-5/2054(1)/तीस-4-2021, तद्दिनांक।

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(2) संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, ट्रान्सपोर्ट भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 653 (ई), दिनांक 23.09.2021 के संदर्भ में।
(3) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) समस्त विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, मुख्यालय, लखनऊ।
(7) संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) परिवहन अनुभाग-1/2/3 उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-56/तीस-4-2022
लखनऊः दिनांकः 07 जनवरी, 2022

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 653(ई), दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रख्यापित मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के नियम-3(ख) के प्राविधानानुसार ''रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी'' के किसी आदेश से पीड़ित व्यक्ति की अपील की सुनवाई हेतु प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को एतद्द्वारा 'अपीलीय प्राधिकारी' नामित किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-56(1)/तीस-4-2022, तद्दिनांक।</u>

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(2) संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, ट्रान्सपोर्ट भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 653 (ई), दिनांक 23.09.2021 के संदर्भ में।
(3) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) समस्त विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, मुख्यालय, लखनऊ।
(7) संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) परिवहन अनुभाग-1/2/3 उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।